

न्यायालय जजुसीतदार कठूमर (जलवार) बांज.

प्रकरण जारि रिवॉर्ड पटवारी हत्का कुसारी वनाम जगदीश रामचरण जलवार
प्रकरण अंतगत प्रायः जलवार हत्का


प्रकरण संख्या - RA/68/2018 निर्णय दिनांक - 21/2/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि यास कुसारी
की आ.सं.नं. 454 कुल रकवा 1.008 किरान जमीन बिन्धु में से 0.01
रकवा पर भी जगदीश रामचरण जलवार पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर
कुसारी करवा कर लिया है। इस मर पटवारी हत्का कुसारी द्वारा दिनांक 12/6/18
को उससे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिवॉर्ड मर तारीख
भू.अ.निरी. कठूमर के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर दिखा
जाकर अतिक्रमि जगदीश रामचरण जलवार निवासी कुसारी को भू.
राज्य अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील
करवाई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमि
उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकवादा नंदि 454 रकवा 0-01 में से 0-01
रकवा किरान जलवार जो निवृत्त व वयस मही उ दिहाजा वीरसायन का अतिक्रमण
रकवा से वेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उक्त स्वरूप तमान 0.63 Paule
60 गुना 32/- रकवा पैगल्टी आरोपित की जाती है मांदा कायमी हेतु टीआरए को लिखा
जावे, पैगल्टी तपूली एवं वेदखली हेतु हत्का पटवारी कुसारी भू.अ.निरी. कठूमर
को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

न्यायालय
जजुसीतदार
कठूमर (जलवार) बांज.

अतिरिक्त - प. नं. 4 के पृष्ठ सं. 16 क्रम सं. 17
सं. 2018/19 पत्रावली भागी सं. 321
नी काव से को नई


12/3/19

न्यायालय कठूमर
न्यायालय कठूमर